संख्या-1616 आर/छ-पु-5-94

प्रेषक,

के0के0बाजपेयी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 12 अप्रैल, 1994

विषयः- प्रदेश में फर्जी लाइसेंसों पर आग्नेयास्त्र लाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि शासन के संज्ञान में यह आया है कि आंतकवादी और अपराधिक गतिविधियों को उ0प्र0 में तेज करने के उददेश्य से भारी संख्या में आग्नेयास्त्र के फर्जी लाइसेंस बनाकर शस्त्र लाये जा रहे है तथा उनका प्रयोग अपराधिक गतिविधियों द्वारा जन साधारण को आतंकित करने में किया जा रहा है। इस सम्भावना से इंकार नहीं किया किया जा सकता कि इस प्रकार के फर्जी लाइसेंस किसी भी जनपद/प्रदेश से, फर्जी हस्ताक्षरों व जाली मुहर लगाकर किसी अपराधिक/संगठित गिरोह द्वारा बनाये जा रहे हो। इस पर प्रभावी रोक लगाने तथा दूसरे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लाइसेंसों का नवीनीकरण करते समय अथवा लाइसेंस नवीनीकरण का प्रस्ताव, शासन को भेजने से पूर्व कृपया दूसरे जनपद/ प्रदेश से जारी लाइसेंसों का भलीभॉति सत्यापन अवश्य करा लिया जाये एवं आवश्यक जॉच के उपरान्त ही नवीनीकरण किया जाए या शासन को इस आशय के प्रस्ताव भेजे जाए। जो लाइसेंस फर्जी पायें जाए उनको तुरन्त निरस्त करके, दूसरे व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर अविलम्ब आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए। शासनादेश संख्या-4347(2)आर/छ-पु-5-566/92, दिनांक 13.1.93 में यह निर्देश पहले प्रचालित किये जा चुके है कि जिले से बाहर के जारी लाइसेंसों को जिले में दर्ज करने से पूर्व लाइसेंस स्वीकृत कर्ता अधिकारी से ऐसे लाइसेंस जारी होने की पुष्टि करा ली जाए।

भवदीय,

(के0के0बाजपेयी)
अनु सचिव।

76-A

शासनादेश - जी0आई032 आर/छ-5-719/82
दिनांक 19 सितम्बर, 1992 का संलग्नक

माह:.....................

क्रमांक	जनपद/ स्थान का नाम	पकड़ी गई अवैध फैक्ट्रियों की संख्या	बरामद शस्त्रों की संख्या / विवरण					कारतूसों की संख्या	पकड़े गये अभियुक्तों की सं0	अभियुक्तों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
			राइफल	रिवाल्वर	पिस्टल	बन्दूक	अन्य			
			देशी-फै. नि.	देशी-फै. नि.	देशी-फै. नि.	देशी-फै. नि.	देशी-फै. नि.			